संख्या-41/2022/2497/22-2-2021-17(915)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2022*

विषय:- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गरबर यादव पुत्र श्री राम बचन, निवासी जनपद-अयोध्या की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 09.09.2021, दिनांक 27.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गरबर यादव पुत्र श्री राम बचन, निवासी-घोड़वल, थाना-कुमारगंज, जनपद-फैजाबाद वर्तमान अयोध्या है। बन्दी द्वारा दिनाक 05.02.1990 को 03 सहअभ्युक्तों के साथ मिलकर राजेन्द्री देवी आयु लगभग 14 वर्ष के साथ बुरा काम कर घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-433/1998, में भा0द0वि0 की धारा-363, 366 एवं 376 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 04.04.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक-30.01.2018 द्वारा 10 वर्ष की सजा को लघुकृत करते हुये 07 वर्ष की सजा में परिवर्तित किया गया । बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2021 तक 02 वर्ष, 03 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष, 09 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या ने बंदी द्वारा पुन: अपराध किये जाने सम्भावना होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की उम्र (46) वर्ष तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओ पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गरबर यादव (बन्दी संख्या-8881/2018) पुत्र श्री राम बचन, निवासी जनपद-अयोध्या की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-41/2022/2497(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-अयोध्या ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।